(140)

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
{हाल कार्यालय-राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर}

क्रमांक : 2043 दिनांक : 28-12-86

वाद संख्या :- 1- 10/83{2}

2- 10/83{3}

3- 10/83{7}{अ}

4- 10/83{16}

5- 10/83{19}

6- 10/83{49}

7- 10/83{52}{अ}

8- 10/83{55}

9- 10/83{73}, {71}

10- 10/83{96}

11- 10/83{99}

12- 10/83{100}

13- 10/83{108}

14- 10/83{109}

15-10/83{110}

16-10/83{116}

17- 10/83{120}

18- 10/83{144}

19- 10/83{148}

20- 10/83{149}

21- 10/83{150}

22- 10/83{152}

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय :-राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सांगानेर, श्योपुर, बम्बाला ।

पीठासीन अधिकारी :- 1- श्री बी०एम०शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज०जयपुर ।

पक्षकारान :- 1- श्री जगन्नाथ पुत्र नारायण जाति माली ।

2- श्री मांगीलाल पुत्र गोदू ।

क्रमशः----2.

141

3- श्रीमती रतन कंवर बेवा गोविन्दसिंह श्री प्रेम सिंह, श्यामसिंह, हेमसिंह व गोविन्दसिंह ।

4- सावन्त कौर बेवा लाभ सिंह, जगदीप सिंह पुत्र लाभसिंह ।

5- श्री हनुमानसहाय, रामप्रताप, लादूराम, कानूराम पि0 दामोदर लाल जाति मीणा ।

6- श्री नारायण, कजोडी, पुत्र गोरू माली ।

7- श्री चौथू पुत्र ग्यारसा, धन्नालाल, कालू राम पुत्र तुलसा नाबालिग लालचन्द, कपूर चन्द पुत्रान तुलसा नाबालिग व विलाप्त मु0गुलाब बेवा तुलसा ।

8- सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित भूमि मालिक ।

9- भूरा, महादेव, रामू पि0जगन्नाथ ।

10- हनुमानसहाय, लादूराम, कालूराम पि0 दामोदरलाल, हि0 3/4 एवं अंगारी देवी बेवा रामप्रताप, नरसीलाल, गोपाललाल, हरिनारायण, श्यामलाल पुत्र रामप्रताप 1/4 हि0

11- श्री बंशी पुत्र जैना हि0 1/2, नन्दा, ग्यारसीलाल, काना सीताराम, भौंरीलाल पुत्र घासी हि0 1/2

12- रामनाथ पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण ।

13- सावन्त कौर बेवा लाभ सिंह, जगदीप सिंह पुत्र लाभ सिंह ।

14- श्री कजोड हि0 1/2, नारायण हि0 1/2 पुत्र गोरू ।

15- श्री रघुनाथ, मूलचन्द पि0जम्मन, भौंरीलाल, नानगराम, गुलाबचन्द, गोपाल, ख्याली, पप्पू पि0 सेवा 1/3 महादेव, नन्दीलाल पि0 मोहरू रामचन्द्र पुत्र कल्याण 1/3 कजोड, नारायण पुत्र गोरू 1/3

16- श्री ग्यारसा पुत्र सोन 1/2, लादूराम, बिरदया, रामनारायण नाबालिग संरक्षक मु0लाडा बेवा छोटया ।

17- श्री भंवरलाल पुत्र रामनाथ ।

18- कर्नल गुमानसिंह पुत्र मुकन्द सिंह ।

19- श्री घीसीलाल डोसी पुत्र इन्द्रमल डोसी जैन ।

20- श्री संजीवकुमार डोसीना बा0पुत्र घीसीलाल डोसी संरक्षक 1/2, नारायण पुत्र गोरू माली 1/2.

क्षेत्राधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-----3.

(142)

21- श्रीमती कुमुद डोसी पत्नी घीसोलाल डोसी जैन 1/2 कजोड़ पुत्र गोरू माली 1/2

22- गौशाला ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर

23- राजस्थान आवासन मंडल, जरिये श्री एल.सी.गुप्ता एवं श्री सी.एम.वर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं श्री जे.के. सिंघी, एडवोकेट ।

1. राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मंडल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कालोनी ग्राम सांगानेर, श्योपुर एवं बम्बाला जिला जयपुर की 1213 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के आदेश राज0भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक प07§2§ नविआ/83 दिनांक 22.8.83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22.8.83 को प्रकाशित की गई ।

2. तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उपधारा §1§ में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक प07 §20§नविआ/11/83, दिनांक 19 मार्च, 1984 को राजस्थान राजपत्र के भाग 1§ख§ में दिनांक 19 मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

3. धारा 17§4§ की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार संबंधित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9§1§ के नोटिस दिनांक 23.5.84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई जिसके अनुसार दिनांक 11.6.84 को कुल भूमि

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मंडल के प्रतिनिधि को संभलवाया गया ।

4. उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् संबंधित खातेदारों को अधिनियम की धारा 9﴾3﴿ के अंतर्गत नोटिस जारी किये जाकर संबंधित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5. वर्तमान में उपरोक्त में से निम्नानुसार भूमि का ही अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	
				बीघा	बिस्वा
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	10/83﴾2﴿	जगन्नाथ पुत्र नारायण जाति माली	3	00	15
			4	00	03
			5	00	19
			6	00	02
			7	00	02
			8	00	03
			9	01	03
			10	01	02
			11	01	01
			12	00	04
			13	01	03
			14	00	04
			15	01	01
			15/1406	0	15
			15/1407	0	01
				8	18

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:----5.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	10/83/3	मांगीलाल पुत्र गोदू	16	00	01
			17	00	08
			18	00	02
			19	00	03
			20	00	18
			21	00	11
			22	00	12
			23	00	11
			24	00	09
			25	01	04
			26	00	14
			27	01	05
			28	01	04
			21/1409	0	04
			27/1410	0	10
				08	16
3.	10/83/7 (अ)	श्रीमती रतनकंवर बेवा गोविन्दसिंह, श्री प्रेमसिंह, श्यामसिंह, हेमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह	127	00	05
			128	00	10
			129	01	01
			130	00	08
			131	00	13
			132	01	03
			133	01	09
			134	00	06
			135	00	19
			136	01	03
			137	00	19
			138	01	00
			139	00	04
			141	00	10
			142	00	05
			143	00	12
			144	01	00
			145	01	12
				13	19

145

4	10/83(16)	सावन्त कौर बेवा लाभसिंह	171	04-14
		जगदीपसिंह पुत्र लाभसिंह	677	01-09
			676	03-17
				10-00
5.	10/83/19	हनुमानसहाय, रामप्रताप लादूराम, कालूराम पुत्र दामोदर लाल जाति मीणा	181	00-14
			41/1553	00-09
				01-03
6.	10/83/49	नारायण कजोड़ी पुत्र गोरू माली	879	01-09
			1028	00-09
			1029	00-01
			1030	00-06
			1053	00-07
			1054	00-05
			1055	00-08
			1062	00-13
				03-18
7.	10/83/52(अ)	चौथू पुत्र ग्यारसा, धन्ना लाल, कालूराम, पुत्र तुलसा नाबालिग लालचन्द, कपूर चन्द पुजान तुलसा नाबालिग व विलास मु०गुलाब बेवा तुलसा	883	00-15
			383	00-12
			892	00-12
			893	00-10
				02-09
8.	10/83/55	सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित भूमि मासिक	889	01-06
			890	00-02
			891	01-18
			898	01-10
			912	01-03
				05-19
9.	10/83/73,71	भूरा, महादेव, रामू पुत्र जगन्नाथ	983	00-06
			996	00-16
			997	01-04
			1002	00-02
			1003	00-03
			1004	00-07

निशोधिकारी
नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः------7.

146

1.	2.	3.	4.	5.
			1005	01-10
			1006	00-05
			1022	01-02
			984	00-01
			973	00-13
				07-09
10.	10/83/96	हनुमानसहाय, लादूराम कालूराम पुत्र दामोदर लाल हि03/4 एवं श्रृंखारी देवी बेवा रामप्रताप-रसी लाल, गोपाललाल, हरिनारायण, श्यामलाल पुत्र रामप्रताप हि0 1/4	67	00-16
			68/697	02-04
			69/698	02-08
			73/590	03-01
			75	05-00
			76	01-04
			77	09-09
				24-02
11.	10/83/99	श्री बंशीलाल पुत्र जैला हि0 1/2 नन्दा, ग्यारसीलाल, काना, सीताराम, भौंरीलाल पुत्र घासी हि0 1/2	71	01-11
			72	01-15
			73	03-00
			71/586	02-14
			71/587	00-02
			71/588	00-02
			71/589	04-10
				13-12
12.	10/83/100	रामनाथ पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्रा.	79	02-11
			217	02-18
			223	02-11
			227	01-04
			235	01-09
			238	00-05
			239	02-02

अधिकारी
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः------8.

147

1.	2.	3.	4.	5.
			241	01-18
			242	01-02
			243	00-15
			244	01-09
			260	01-03
			306	00-07
			239/639	00-17
			239/640	00-04
			228	00-08
				21-03
13.	10/83/108	सावन्त कौर बेवा लाभसिंह जगदीप सिंह पुत्र लाभसिंह	130	01-00
			131	01-14
			132	00-11
			133	01-11
			134	00-13
			135	00-12
				06-01
14.	10/83/109	कजोड हि0 1/2 नारायण हि0 1/2 पुत्र गोरू	165	00-06
			168	00-09
				00-15
15.	10/83/110	रघुनाथ, मूलचन्द पुत्र जम्मन भौंरीलाल नानगराम, गुलाबचन्द गोपाल, खयाली पप्पू, पिता सेवा हि. 1/3 महादेव, नन्दीलाल पिता मोहरू रामचन्द्र पुत्र कल्याण 1/3 कजोड़ नारायण पुत्र गोरू 1/3	174	04-00

विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमशः------9.

148

1.	2.	3.	4.	5.
16.	10/83/116	ग्यारसा पुत्र सोन 1/2 लादूराम, बिरदया, रामनारायण पुत्र छोट्या, रामनारायण नाबालिगसंरक्षक मु. लाडा बेवा छोट्या 1/2	205	03-11
			206	01-09
			209	02-15
			210	02-11
			211	01-00
			206/632	00-01
			207/633	00-03
				11-10
17	10/83/120	भंवरलाल पुत्र रामनाथ	222	03-04
18.	10/83/144	कर्नल गुमानसिंह पुत्र मुकुन्द सिंह	405/727	24-00
19.	10/83/148	घीसीलाल डोसी पुत्रइन्द्रमल डोसी जैन	163	00-01
			164	00-16
				00-17
20.	10/83/149	संजीव कुमार घीसी नाबा. पुत्र घीसीलाल डोसी संरक्षक 1/2 नारायण पुत्र गोरू माली 1/2	162	01-03
21.	10/83/150	श्रीमती कुमुद डोसी घीसी लाल डोसी जैन 1/2 कजोड पुत्र गोरू माली 1/2	167	00.09
			173	02-08
				02-17
22.	10/83/152	गौशाला ग्राम बंबाला तहसील सांगानेर	179/627	01-03
			179/628	00-02
			179/629	01-07
				02-12

निदेशक (भू-अभिलेख) / अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

M4

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अत: तद्नुसार अवार्ड दिया जा रहा है ।

1. अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया इनमें दावेदारों द्वारा क्लेम पेश किये गये जो पत्रावली में संलग्न है ।

2. राजस्थान आवासन मंडल ने दावेदारों के क्लेम के उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुये अस्वीकार किया तथा यह बताया गया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/- रूपये प्रति बीघा हो सकती है ।

3. भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स के संबंध में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा तखमीना पेश किया गया है जो संबंधित पत्रावली में संलग्न है ।

4. उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 1,00,000 रूपये प्रतिबीघा तक दिये जाने की मांग की है ।

5. राजस्थान आवासन मंडल ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि इस भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/- रूपये प्रतिबीघा हो सकती है, इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 24.10.83 जिसमें ग्राम श्योपुर जिसमें ग्राम श्योपुर की 3 बीघा 03 बिस्वा भूमि रूपये 29,999/- में बेची गई है, कि फोटो प्रति पेश की है, जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत रूपये 9,525/- प्रतिबीघा है, किंतु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने पर यह तथ्य जानकारी में आता है कि यही विक्रय पत्र में अंकित भी किया गया है । :-

"यह भूमि अम्बाला नदी के पास स्थित है । विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चपेट में आ जाने से खाली पड़े हैं तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ़ या पौने दो बीघा जमीन काम की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है ....

इस प्रकार यह विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3 बीघा 3 बिस्वा दिया जाना बताया गया है लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिये इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर निश्चित किया जाना मेरे विचार में न्यायोचित नहीं होगा ।

सी. तिवारी
... आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-----11.

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अपने समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15.3.84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम श्योपुर में 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रुपये 30,000/- में विक्रय किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/- प्रति बीघा है। इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3 किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड़ साईड पर नहीं है एवं बारानी है।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है अतः इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम बम्बाला की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30.3.83 को रुपये 25,000 में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 9,500/- आती है। इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई भूमि टोंक रोड से करीबन $1\frac{1}{2}$ मील अन्दर क्षेत्र में है इसलिये मेरे विचार में इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

4. संबंधित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विक्रय पत्रों की प्रतियां पेश की है उन मामलों में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही विक्रय किया गया है एवं भूमि की स्थिति भी बिल्कुल भिन्न है। भूमि के एक छोटे से हिस्से को विक्रय किये जाने की दर को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विशाल स्तर पर अवाप्त किये जाने वाली भूमि के मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता, अतः इन विक्रय पत्रों के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार में न्यायोचित नहीं होगा।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

5. इसके अतिरिक्त संबंधित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-2, जयपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय जयपुर क्रमशः दिनांक

क्रमशः------12.

4.2.85 एवं 20.2.85 एवं 15.6.85 को फोटो प्रतियां पेश की गई है जिनके अनुसार भूमि का मुआवजा लगभग रुपये 40,000/- प्रतिबीघा की दर से तय किया गया है, किन्तु इन मामलों में संबंधित विभागों का भूमि विशेष की ही आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है। अतः इन अवार्डों के आधार पर भी वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा।

6. मैने इन प्रकरणों से संबंधित मौका का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा संबंधित पक्षकारों की बहस सुनी। यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप ही सांगानेर अवार्ड अड्डा भी स्थित है। अतः भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं भूमि की पोटेंशियलिटी के आधार पर एवं सांगानेर टाउन के समीप होने के कारण एवं भविष्य में होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुये मौके मुआयने के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

7. इन सभी मामलों में मुआवजा निर्धारण करते समय सबसे बड़ी कठिनाई अल्सर एक्ट बाबत आयी क्योंकि जो भूमि अल्सर एक्ट से प्रभावित है उनका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त मामलों में संबंधित भूमि के अल्सर एक्ट से प्रभावित होने के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान आवासन मंडल को अनेकों बार लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया गया, किंतु उनके द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इन भूमियों के एक्ट से प्रभावित नहीं होने के बाबत पेश नहीं की गयी। अनेकों बार स्मरण करवाने के पश्चात सचिव, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अपने पत्र क्रमांक प0 1(4) भू.अ./677, दिनांक 23.5.88 द्वारा सक्षम अधिकारी (प्रथम) नगर भूमि कर विभाग से प्राप्त क्रमांक 1616, दिनांक 5.12.87 के साथ में अधिनियम की धारा 10(5) से प्रभावित भूमि एवं धारा 10(6) के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को कब्जा दी गयी भूमि की सूची की फोटो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी एवं मौखिक रूप से यह बताया गया कि जो भूमि अल्सर एक्ट से प्रभावित है उसके खसरा नं0 सूची में दर्ज है एवं जिनके खसरा नं0 सूची में नहीं है वह अल्सर एक्ट से प्रभावित नहीं है। इन सारी परिस्थितियों में स्पष्ट सूचना प्राप्त

शोधाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः------13.

152

नहीं होने के बावजूद भी चूंकि उपरोक्त मामलों की भूमि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में अंकित नहीं है, इस आधार पर यह अवार्ड जारी किया जा रहा है ।

8. उपरोक्त मामलों में भूमि पर स्थित पेडों के संबंध में अधिकतर मामलों में मौके की स्थिति के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है । इसके साथ ही विवाद संख्या 10/83/§100§ में कुल 19 बिस्वा भूमि आबादी भूमि है एवं वाद संख्या 10/83/§120§ में कुल 15 बिस्वा भूमि आबादी है । इन आबादी भूमियों में संबंधित खातेदारों के पक्के मकान आदि स्थित है, जिनमें खातेदारों के परिवार निवास कर रहे हैं । चूंकि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अधिकांश मामलों में पक्के मकानों का मुआवजा अभी नहीं दिया जा रहा है, अत: इन दोनों मामलों में भी वर्तमान में आबादी भूमि को छोड़ते हुये शेष भूमि का मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है एवं राज्य सरकार से यह सिफारिश की जाती है कि चूंकि इस भूमि में खातेदारों के पक्के मकान स्थित है और परिवार निवास कर रहे है, अत: इस भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया जावे । वाद संख्या 10/83§100§ में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा खातेदारों की भूमि पर स्थित ए.सी.पाईपों का तखमीना बावजूद निर्देशों के प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: खातेदारों द्वारा ए.सी.पाईपों का मुआवजा बाबत वेल्यूअर का जो प्रमाण पत्र पेश किया गया है, इसमें इन पाईपों की निर्धारित कीमत मुआवजे हेतु मानी गई है । इसी प्रकार वाद संख्या 10/83§144§ में बने पक्के कमरे मय बेसमेंट तथा लिविंग रूम का तखमीना भी बावजूद निर्देशों के राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण खातेदार द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वेल्यूअर के अनुसार इनका मुआवजा निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

§1§ <u>वाद संख्या 10/83§2§ जगन्नाथ पुत्र नारायण जाति माली</u> :-

§1§ कुल भूमि 8 बीघा 18 बिस्वा का मुआवजा रुपये 26,000/-प्रतिबीघा की दर से रु.	2,31,400.00
§2§ पेड डाले, कुएं, बोरिंग आदि का तखमीना राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार	1,87,775.44
	4,19,175.44

भू-अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

153

(3) 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि रू. 1, 25, 752.63

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याजदेय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याज देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(2) 10/83(3) : श्री मांगी लाल पुत्र गोदू :-

(1) कुल भूमि 8 बीघा 16 बिस्वा का मुआवजा रू. 26,000/- प्रति बीघा की दर से रू. 2, 28, 800.00

(2) डोले, कुएं, बोरिंग व निर्माण आदि का तकमीना रूपये 72, 545.90

3, 01, 345.90

(3) 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि य रू. 90, 403.77

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याज देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल, द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(3) 10/83(7)(अ) श्रीमती रतन कंवर बेवा गोविन्द सिंह, प्रेम सिंह श्यामसिंह, श्यामसिंह, हेमसिंह व गोविन्द सिंह :-

(1) कुल भूमि 13 बीघा 19 बिस्वा का मुआवजा रू. 27,000/- प्रति बीघा की दर से रू. 3, 76, 650.00

(2) डोल, पक्का घोरा, होदी, ए.सी. पाईप कुआं, बोरिंग आदि राजस्थान आवासन मंडल के तकमीने तथा पेड़ का तकमीना मौके की स्थिति के अनुसार रू. 61, 927.30

4, 38, 577.30

(3) 30 प्रतिशत सोलेसियम राशि रू. 1, 31, 573.19 ।

रू. 4, 38, 577.30 धारा 23(1)ए के अनुसार धारा 4(1) की दिनांक 22.8.83 से कब्जे की स्थिति 11.6.84 तक 12 % की दर से अतिरिक्त राशि तथा कुल मुआवजा रू. 5, 70, 150.49 पर कब्जे की दिनांक से एक वर्ष तक 9 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक

भू-अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-----15.

15 प्रतिशत तक की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा तथा इसमें से पूर्व में दिनांक 14.3.88 भुगतान की गयी राशि रूपये 2,00,880/- मय ब्याज के काट ली जावेगी । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

§4§ 10/83§16§ एवं 10/83§108§ सावन्त कौर बेवा लाभसिंह, जगदीपसिंह पुत्र लाभ सिंह :-

§1§ कुल भूमि 16 बीघा 1 बिस्वा का मुआवजा रूपये 27,000/- प्रति बीघा की दर से रू.	4,33,350.00
§2§ डोले, पेड, 2 कुएं 2 बोरिंग, व निर्माण का राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार तकमीना रू. 47,348.89 + 26,807.73=74,156.62	74,156.62
कुल	5,07,506.62

§3§ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 1,52,251.98

रूपये 507506.62 पर धारा 23§1§ ए तथा धारा 34 के अनुसार नियमानुसार ब्याज देय होगा किन्तु इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि का ब्याजदेय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

§5§ 10/83§19§ हनुमानसहाय, रामप्रताप, लादूराम कालूराम पुत्र दामोदरलाल जाति मीणा :-

§1§ भूमि 1 बीघा 3 बिस्वा का मुआवजा रूपये 26,500.00 प्रति बीघा की दर से रूपये	30,475.00
§2§ पेडों का तकमीना राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार रूपये	550.00
	31,025.00

§3§ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 9307.50

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याज देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

उपशासन सचिव / निदेशाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

155

(6) 10/83(49) नारायण कजोड़ी पुत्र गोरू माली :-

(1) कुल भूमि 3 बीघा 18 बिस्वा का मुआवजा
रू. 25,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये 97,500.00

(2) कुएं, बोरिंग, होदी का तकमीना रूपये 38,414.86

1,35,914.86

(3) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 40,774.46

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याजदेय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याज देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(7) 10/83(52)(अ) : चौथू पुत्र ग्यारसा, धन्नालाल, कालूराम, पुत्र तुलसा नाबालिग लालचन्द कपूर चन्द पुत्रान तुलसा नाबालिग व विलाप्त मु0गुलाब बेवा तुलसा :-

(1) कुल भूमि 2 बीघा 9 बिस्वा का मुआवजा
रूपये 24,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये 58,800.00

(2) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू0 17,640.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याजदेय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याज देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(8) 10/83(55) सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित भूमि मालिक :-

(1) भूमि 5 बीघा 19 बिस्वा का मुआवजा रूपये
25,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये 1,48,750.00

(2) डोला, पेड़, कुँआ, बोरिंग आदि का
तकमीना राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार 56,059.00

2,04,809.00

(3) 30 प्रतिशत सोलेशियम रूपये 61,442.70

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याजदेय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याजदेय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

उप अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः------17.

(156)

§9§ 10/83§73§, §71§ भूरा, महादेव, रामू पि0जगन्नाथ :-

§1§ कुल भूमि 7 बीघा 9 बिस्वा का मुआवजा रूपये
25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये 1,86,250.00

§2§ झौंपड़ी का तकमीना राजस्थान आवासन
मंडल के अनुसार रूपये 652.50

1,86,902.50

§3§ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 56,070.75

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याजदेय होगा तथा इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याजदेय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

§10§ 10/83§96§: हनुमानसहाय, लादूराम, कालू राम पि0दामोदरलाल, हि0 3/4 एवं श्रृंगारीदेवी बेवा रामप्रताप, नरसीलाल, गोपाललाल, हरिनारायण, श्यामलाल पुत्र रामप्रताप 1/4 हि0

§1§ कुल भूमि 26 बीघा 2 बिस्वा का मुआवजा
रूपये 26500/- प्रतिबीघा की दर से रूपये 6,91,600.00

§2§ कुएं, बोरिंग, पाईप, टैंक आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मंडल तथा पेड़ों का तकमीना
मौके की स्थिति के अनुसार 95,416.00
§38316.62 + 57100.00§ 7,87,016.62

§3§ 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि रूपये 2,36,104.98

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर नियमानुसार भुगतान की दिनांक तक ब्याजदेय होगा । जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

§11§ 10/83§99§श्री बंशी पुत्र जैता हि0 1/2 नन्दा ग्यारसीलाल, काना, सीताराम, भौरीलाल पुत्र घासी हि0 1/2

§1§ कुल भूमि 13 बीघा 12 बिस्वा का मुआवजा रूपये
26,500/- प्रतिबीघा की दर से रू. 3,44,500.00

§2§ कुंए, बोरिंग, झौंपड़े, टैंक, पेड़ों आदि का
तकमीना रूपये 57,375.04

3,95,875.04

क्रमशः-------18.

(3) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 1,18,762.51

रूपये 3,95,875.04 का धारा 23(1) तथा कुल मुआवजा राशि रूपये 5,14,637.55 का कब्जों की दिनांक से एक वर्ष तक 9 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा तथा इसमें से दिनांक 25.6.88 को भुगतान की गयी राशि रूपये 1,97,280/- मय ब्याज की काटी भी जावेगी यह गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(12) 10/83(100) रामनाथ पुत्र महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण :-

(1) भूमि 20 बीघा 4 बिस्वा का मुआवजा रूपये 27,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये 5,45,400.00

(2) डोले, पेड़, ए.सी. पाईप आदि का तकमीना रू. 51,462.65

5,96,862.65

(3) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 1,79,058.79

रूपये 5,96,862.65 पर धारा 23(1) ए के अनुसार 4(1) की दिनांक 22.8.83 से 11.6.84 तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा कुल मुआवजा राशि रूपये 7,75,921.44 पर कब्जे की दिनांक से एक वर्ष तक 9 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत का भुगतान देय होगा किन्तु नियमानुसार इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि का ब्याज देय नहीं होगा ।

(13) 10/83(109) : श्री कजोड़ हि. 1/2, नारायण हि. 1/2 पुत्र गौरू :-

(1) भूमि 15 बिस्वा का मुआवजा रू. 25,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये 18,750.00

(2) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 5625.00

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर नियमानुसार भुगतान की दिनांक तक ब्याजदेय होगा । जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशिष्ट अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः------19.

॥14॥ 10/83॥10॥ रघुनाथ, फूलचन्द पुत्र जम्पन, भौंरीलाल, मानगराम, गुलाबचन्द गोपाल, ख्याली पप्पू पिता सेवा महादेव, नन्दीलाल पि0मोहरू रामचन्द पुत्र कल्याण 1/3 कजोड़, नारायण पुत्र गोरू 1/3

॥1॥ भूमि 4 बीघा का मुआवजा रूपये 26000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये 1,04,000.00

॥2॥ डोले पेड़ों का तकमीना राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार रूपये 867.10

1,04,867.10

॥3॥ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 31,460.13

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर नियमानुसार भुगतान की दिनांक तक ब्याज देय होगा । जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

॥15॥ 10/83॥16॥ श्री ग्यारसा पुत्र सेन 1/2, लादूराम बिरदया, रामनारायण, नाबालिग संरक्षक मु0लाडा बेवा छीटूया :-

॥1॥ कुल भूमि 11 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000/- प्रति बीघा की दर से रूपये 2,76,000.00

॥2॥ डोले, पेड, बोरिंग, कुएं, टैंक आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार 19,772.56

2,95,772.56

॥3॥ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 88,731.77

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर नियमानुसार भुगतान की दिनांक तक ब्याजदेय होगा । जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल, द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

॥16॥ 10/83॥20॥ श्री भंवरलाल पुत्र रामनाथ :-

॥1॥ कुल भूमि 2 बीघा 09 बिस्वा का मुआवजा रूपये 27,000/- प्रतिबीघा की दर से रू. 66,150.00

॥2॥ पेड़ों का तकमीना राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार रूपये 1,260.00

67,410.00

॥3॥ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रूपये 20,223.00

[stamp: ...री अधिकारी ... एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर]

क्रमशः:-------20.

159

रूपये 67,410.00 का धारा 23§1§ ए के अनुसार धारा 4§1§ की दिनांक 22.8.83 से कब्जे की दिनांक 11.6.84 तक 12 प्रतिशत की दर से तथा कुल मुआवजा राशि रूपये 87,633.00 पर 11.6.84 कब्जे की दिनांक से 13.6.84 तक 9 प्रतिशत की दर से तथा स्टे की अवधि के पश्चात् दिनांक 1.9.87 से 30.8.88 तक 9 प्रतिशत की दर से तथा 31.8.88 से भुगतान की दिनांक 2 तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

§17§ 10/83§144§ कर्नल गुमानसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह :-

§1§ भूमि 24 बीघा में से 12 बीघा भूमि का रू. 26000/- प्रति बीघा की दर से तथा शेष 12 बीघा भूमि का मुआवजा 23,000/- रू. प्रति बीघा की दर से मुआवजा रू. 5,88.000.00

§3,12,000 + 2,76,000 = 5,88,000§

§2§ मैच आफ हट, कुआं, बोरिंग, होदी, प्लेटफार्म, टैंक, ए.सी. पाईप का तकमीना, राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार तथा कुएं के पास बने पक्के कमरे §मय बेसमेंट§ तथा लिविंगरूम का तकमीना रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अनुसार कुल तकमीना रू 58,572.28

6,46,512.28

§3§ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 1,93,953.68

रूपये 6,46,512.28 का धारा 23§1§ के अनुसार धारा 4§1§ ए की दिनांक 22.8.83 से कब्जे की दिनांक 11.6.84 तक 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि तथा कुल मुआवजा 8,40,465.96 का 11.6.84 से 10.6.85 तक 9 प्रतिशत की दर से तथा 11.6.85 से भुगतान की दिनांक तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा तथा इसमें से खातेदार को दिनांक 31.10.88 को भुगतान की गयी राशि रूपये 3,45,000/- मय ब्याज के काट ली जावेगी । यह गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

उप शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:------21.

(18) 10/83(148) श्री घीसीलाल डोसी पुत्र इन्द्रमल डोसी जैन :-

(1) कुल भूमि 17 बिस्वा का मुआवजा रू. 25,000/-रू.
प्रति बीघा की दर से रूपये 21,250.00

(2) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रूपये 6775.00 6,375.00

27,625.00

रूपये 21,250.00 का धारा 23(1) के अनुसार 4(1) की दिनांक 22.8.83 से कब्जे की दिनांक 11.6.84 तक 12 प्रतिशत की दर से तथा कब्जे की दिनांक 11.6.84 से भुगतान की दिनांक तक कुल मुआवजा राशि 27,625.00 का ब्याज 9 प्रतिशत व 15 प्रतिशत की दर से नियमानुसार देय होगा । किन्तु इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि का ब्याज का भुगतान देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

(19) 10/83 (149) श्री संजीवकुमार डोसी ना. ब. पुत्र घीसीलाल डोसी संरक्षक 1/2, नारायण पुत्र गोरू माली 1/2

(1) भूमि 1 बीघा 3 बिस्वा का मुआवजा रू. 24000/-
प्रति बीघा की दर से रूपये 27,600.00

(2) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रूपये 8280.00

रूपये 27,600.00 का धारा 23(1) ए के अनुसार धारा 4(1) की दिनांक 22.8.83 से कब्जे की दिनांक तक 12 प्रतिशत की दर से तथा कुल मुआवजा राशि रू. 35,880/- का कब्जे की दिनांक से भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी किन्तु इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि का ब्याजदेय नहीं होगा ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

(20) 10/83(150) श्रीमती कुसुद डोसी पत्नी घीसीलाल डोसी जैन 1/2, कजोड़ पुत्र गोरू माली 1/2

(1) कुल भूमि 2 बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा रू.
25,000/- प्रतिबीघा की दर से रू. 71,250.00

(2) 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 21,375.00

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर नियमानुसार ब्याजदेय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी । किन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश की अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा ।

क्रमशः------22.

161

§21§ 10/83§152§ गौपाला ग्राम अम्बाला तहसील सांगानेर :-

§1§ भूमि 2 बीघा 12 बिस्वा का मुआवजा रू.
25000/- प्रति बीघा की दर से रू. 65,000.00

§2§ कुएं, पेड, नालियां, बोरिंग होदी आदि
का तकमीना रू. 57,635.59

1,16,635.59

§3§ 30 प्रतिशत सोलेशियम की राशि रू. 34,990.68

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा न्यायायल के स्थगन आदेश की अवधि पर ब्याज देय नहीं होगा । इसकी गणना राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

उपरोक्त अवार्ड राज0सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ग्रुप-4 विभाग के पत्र क्रमांक प07§20§नविआ/3/83 जयपुर दिनांक 26.12.88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है अत: आज दिनांक 28.12.88 को उपरोक्त भूमि के मुआवजे का अवार्ड घोषित किया जाता है । इसकी प्रतियां सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित है ।

अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान जयपुर ।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है ।

1. श्रीमान शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0जयपुर ।
2. सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
3. तहसीलदार, सांगानेर §जयपुर§
4. सम्बन्धित खातेदार श्री ---------------